1. नियमित कक्षायें दिनांक..........................से प्रारम्भ होगी ।
2. संस्थान समय प्रात: 7:30 से सायं 5:30 बजे तक (शैक्षणिक समय प्रत्येक पारी में 8 घंटे)
3. बुधवार के अलावा प्रत्येक दिन प्रशिक्षणार्थियो को निर्धारित यूनिफार्म में आना अनिवार्य है । प्रशिक्षणार्थियो को यूनिफार्म में किसी भी प्रकार का बदलाव करने अधिकार नही है। विशेष परिस्थियो में बुधवार को भी यूनिफार्म में बुलाया जा सकता है ।
4. प्रशिक्षणार्थियो को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये प्रत्येक विषय अर्थात प्रयोगिक, व्यवसाय सैध्दान्तिक, कार्यशाला गणना व विज्ञान, इंजिनियरिंग ड्राइंग, सामाजिक अध्ययन में 80 प्रतिशत उपस्थिति वांछनीय है ।
5. प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिदिन 8 घण्टे नियमित रूप से कार्य करना होता है तथा शैक्षणिक स्कूलों की भांति ग्रीष्मावकाश व लम्बी अवधि के अवकाश नही होते है ।
6. प्रशिक्षणार्थियो को अवकाश लेने हेतु प्रार्थनापत्र पर पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है पूर्वअनुमति लिये बिना लगातार 7 दिन अनुपस्थिति रहने पर छात्र का संस्थान से नाम विच्छेद कर दिया जायेगा ।3 दिन तक का अवकाश व्यवसाय अनुदेशक द्वारा ही स्वीकृत किया जायेगा । लम्बी अवधी के अवकाश की प्राचार्य द्वारा, प्रशिक्षणार्थियो के अभिभावक को साथ लाने पर ही अनुमति दी जा सकेगी । चिकित्सा अवकाश के लिये चिकित्सक द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र लाना आवश्यक है ।
7. प्रशिक्षणार्थी द्वारा दिये गये विवरण को गलत पाये जाने पर उसको संस्थान से पृथक किया जाता है ।
8. प्रशिक्षणार्थियो की उपस्थिति, प्रगति असंतोषजनक होने पर, संस्थान के नियमो का उल्लघंन करने पर आचार्य/अधिक्षक को छात्रवृत्ति बन्द करने, निलम्बन करने, संस्थान से पृथक करने का अधिकार है। विशेष मामलो में निदेशक महोदय की अनुमति से पुन: प्रवेश किये जाने पर प्रवेश प्राप्ति के रूप में शुल्क रूपये 500/- जमा कराना होगा तथा संस्थान से पृथक किये प्रशिक्षणार्थी को पुन: प्रवेश केवल उसी परिस्थिति में होगा जब उसकी उपस्थिति परीक्षा से पूर्व नियमापुसार होना संभावित होगी ।
9. परिचयपत्र प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा प्रवेश अनुमोदन किये जाने के उपरांत ही जारी किये जायेगे । प्रशिक्षणार्थियो को संस्थान परिसर में अपना परिचयपत्र साथ रखना अनिवार्य है । पुन: परिचयपत्र विशेष परिस्थितियो में रू 80/- जमा कराने पर ही दिया जाकेगा ।
10. प्रशिक्षणार्थियो द्वारा संस्थान परिसर में मोबाईल फोन लाना निषेध है । शैक्षणिक समय में यदि प्रशिक्षणार्थी के पास मोबाईल फ़ोन पाया गया तो जब्त कर लिया जायेगा ।
11. मूल प्रमाणपत्र विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षण अवधि का सम्पूर्ण शुल्क जमा करने पर दिये जायेंगे ।
12. सभी प्रशिक्षणार्थी व्यवसायवार अपने-अपने कक्षा कक्ष, कार्यशाला को स्वच्छ रखेगें । अपने बेठने/ कार्य करपे के स्थान इत्यादि पर नाम/पता या विशेष चिन्ह अंकित न करें । संस्थान सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाने प्रशिक्षणार्थी व्यक्तिगत या सामुहिक रूप से आर्थिक रूप से दण्ड के भागी होंगे कचरा कक्षा-कक्ष के बाहर रखे तथा कचरा पात्र में डालें । आकस्मिक निरिक्षण के दौरान यदि इस तरह की गतिविधि पाई गई तो उक्त जगह पर बेठने वाला छात्र जिम्मेदार होगा ।
13. प्रशिक्षणार्थी द्वारा अधुरा प्रशिक्षण छोड़ने/नाम पृथक किये जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार का शुल्क वापस देय नही होगा । अपितु प्रशिक्षण अवधि का सम्पूर्ण शुल्क जमा कराना होगा । संस्थान में छात्र किसी भी तरह का गुटका, जर्दा, विमल, श्री, तम्बाकू इत्यादी चबाना कठोरता से निषेध है, जेब में पाये जाने पर 50/- की पेनेल्टी भरनी होगी।
14. प्रशिक्षणार्थी को मासिक त्रैमासिक टैस्ट देना अनिवार्य होगा ।
15. तिमाही परीक्षा के बाद अभिभावक को प्रशिक्षणार्थी की रिपोर्ट लेने के लिये संस्थान में आना अनिवार्य होगा ।
16. अभिभावक द्वारा प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण की दैनिक प्रगति जानने हेतु, प्रशिक्षणार्थी को दी गई दैनिक डायरी प्रतिदिन देखा जाना आवश्यक है । अन्य सम्पूर्ण जानकारी प्रवेश एवं प्रशिक्षण निर्देशिका में अंकित है ।
17. उपरोक्त सभी नियमो की पालना करना अनिवार्य है किसी भी प्रशिक्षणार्थी द्वारा नियमो की पालना न करने पर प्राचार्य महोदय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
18. प्रवेश पश्चात में व्यवसाय परिवर्तन की मांग नही करूंगा । प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व यदि मैं केन्द्र में प्रवेश लेने से मना करता हूँ तो केन्द्र को नियमानुसार शुल्क कटोती करने का अधिकार होगा ।
19. प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क, नामांकन शुल्क परीक्षा शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा कराने का दायित्व मेरा रहेगा। शुल्क जमा नहीं कराने पर परीक्षा से वंचित होने एवं मेरे ऊपर पड़ने वाले विपरित प्रभाव अथवा हानि के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

-: प्रवेश, चयन समिति द्वारा, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार दिये जायेंगे :-

यह प्रशिक्षण मेहनत का है तथा प्रशिक्षण की अवधि में तथा प्रशिक्षण पश्चात् रोजगार में हर प्रकार का रख रखाव सफाई और मेहनत का कार्य करना पड़ता है अत: अभ्यर्थी प्रवेश के आवेदन-पत्र भरने से पहले इस सम्बन्ध में यह निश्चय कर लें कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण काइच्छुक है तथा इसे अपने जीविकोपार्जन का माध्यम बनाना चाहता है।

उपरोक्त लिखित तथा संस्थान की प्रवेश एवं प्रशिक्षण निर्देशिका में निर्देशित निर्देशों, अनुशासनात्मक नियमों, उप नियमों, संस्थान द्वारा प्रदत्त निर्देशों तथा समय-समय पर संस्थान की ओर से जारी समस्त निर्देशों की पालना करते हुए संस्थान में प्रवेश लेने का इच्छुक हूँ।

दिनांक .... पिता/ संरक्षक के हस्ताक्षर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर